1	2	3
4.	मध्य प्रदेश	06
5.	महाराष्ट्र	01
6.	उड़ीसा	06
7.	राजस्थान	04
	कुल :	23

मध्य प्रदेश के बिलासपुर संभाग के आदिवासियों के विकास के लिए योजना

6201. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के बिलासपुर संभाग के आदिवासियों के सर्वांगीण विकास से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इसे अब तक स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० वी० तंकाबालू) : (क) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आई० एफ० ए० डी०) रोम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के मामले को आर्थिक कार्य विभाग के साथ उठाने हेतु "मध्य प्रदेश राज्य की बिलासपुर डिविजन एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना" नामक प्रस्ताव भेजा है।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव को अपनी सिफारिश के साथ आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजा गया है जिन्होंने सूचित किया है कि इस प्रस्ताव को टिप्पणी के लिए आई० एफ० ए० डी० को भेजा जा रहा है।

Insurance Schemes for the Handicapped Persons

6202. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce any insurance schemes for the handicapped persons;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether medical examination for the handicapped persons would be indispensable in the special scheme; and

(d) if so, the details of the institution to be benefited under the scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU): (a) No, Sir.

(b) to (d) Does not arise.

Committee for Post Matric Scholarship for SCs and STs

6203. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a high level official committee of Government of India under the Chairmanship of Shri R. K. Saiyed was set up in 1986 for going into the aspects of the post matric scholarship scheme for SCs and STs;

(b) whether the said committee submitted its report in 1987;

(c) what are the recommendations contained in the report;

(d) whether it is a fact that except the representatives from the Ministry of Finance, all Members recommended, adequate scholarship based on price-index;

(e) if so, the details thereof; and

(f) whether Government have accepted the recommendations of the committee with regard to the revision of